"विश्व निवेशक सप्ताह 2025" के अवसर पर
सेबी के अध्यक्ष श्री तुहिन कांत पाण्डे का संदेश

एक जानकार निवेशक ही सुरक्षित और सशक्त निवेशक होता है । इसलिए सेबी हमेशा ही निवेशकों के हित-संरक्षण की दिशा में और उन्हें वित्तीय मामलों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में जुटा हुआ है, और साथ ही साथ सेबी पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में भी जुटा हुआ है । सेबी नई-नई तकनीक को तो अपना ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सेबी इस बात का भी पूरा-पूरा ख्याल रख रहा है कि बाजार पूरी तरह सुरक्षित भी हों, इसमें सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके और समूची व्यवस्था सही मायने में निवेशकों के लिए सुविधाजनक हो ।

हमारे देश के प्रतिभूति बाजार, यानि कि सिक्यूरिटीज़ मार्केट, में छोटे निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि आज हमारे बाजार की सूरत बदल रही है । लेकिन इसके साथ-साथ निवेशकों के हित-संरक्षण की जो जिम्मेदारी पहले से सेबी पर है वह और भी ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर पर उन निवेशकों के प्रति जिन्होंने बाजार में पहली बार कदम रखा है और जो निवेश आदि करने के लिए ऑनलाइन विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

पिछले कुछ वर्षों में, सेबी ने खासकर निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए हैं, जैसे कि:

- यह प्रावधान किया कि निवेशकों का पैसा रोजाना क्लीयरिंग कारपोरेशन को भेज दिया जाए, ताकि निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल न हो,
- यह प्रावधान किया कि शेयर आदि सीधे निवेशकों के डीमैट खातों में जमा कर दिए जाएँ,
- एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग दलालों (ब्रोकर्स) के जरिए करने का प्रावधान किया गया,
- क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकरों को अब सेकेंडरी मार्केट में अस्बा जैसी सुविधा जरूर देनी होती है,
- शिकायत निवारण की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया गया,
- नामांकन की प्रकिया को आसान बना दिया गया है, और
- नॉमिनी से कानूनी वारिस के नाम पर शेयर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है ।

डिजिलॉकर में अब निवेशक म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते के विवरण भी देख सकते हैं, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिन असेट्स को लेकर कोई दावा (क्लेम) नहीं किया जा रहा उनकी संख्या में कमी आ सके । इसके अलावा, बी.एस.डी.ए. की व्यवस्था को भी और बेहतर बना दिया गया है ।

निवेशकों की मदद करने के लिए, "सेवा" नाम से एक वर्चुअल असिस्टेंट की सुविधा शुरू की गई है । इतना ही नहीं, एक परीक्षा की भी शुरूआत की गई है, ताकि निवेशक निवेश की प्रक्रिया और निवेश से जुड़े जोखिमों को और बेहतर ढंग से समझ सकें । यह परीक्षा ऑनलाइन होती है और इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती ।

सेबी कुछ स्थानों पर जल्द अपने स्थानीय कार्यालय खोलने जा रहा है, ताकि वहाँ भी अगर गलत तरीके से कोई गतिविधि चल रही हो तो उस पर लगाम कसना आसान हो सके और साथ ही साथ वहाँ स्थानीय स्तर पर बाजार से जुड़ी खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सके ।

सेबी नीतिगत कदम उठाने के साथ-साथ निवेशकों को जागरूक करने की दिशा में भी भरपूर प्रयास करता है, जिसके लिए सेबी कई अभियान चला रहा है, जैसे बाजार में की जा रही धोखाधड़ी से निपटने के लिए "#SEBIvsSCAM" नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, "सेबी अर्थ यात्रा प्रतियोगिता" आयोजित की जा रही है, और एम.आई.आई. के साथ मिलकर निवेशकों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट जैसे वीडियो, रील, इन्फोग्राफिक, क्विज़, पॉडकास्ट तैयार किए जा रहे हैं और सेबी तथा एम.आई.आई. के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इनका प्रचार किया जा रहा है । निवेशकों को जागरूक करने के लिए सेबी की निवेशक वेबसाइट और सेबी का सारथी ऐप तो पहले से मौजूद है ही ।

आज तकनीक के इस दौर में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं निवेशकों से आग्रह करता हूँ कि उन्हें जो भी जानकारी मिले वे उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से अवश्य कर लिया करें और केवल सेबी से रजिस्टर इंटरमीडियरी के साथ ही लेनदेन किया करें । इसके लिए निवेशक सेबी द्वारा दी गई "सेबी चेक" सुविधा का लाभ उठाएँ और केवल मान्य यूपीआई हैण्डल पर ही भुगतान करें, क्योंकि यदि निवेशक इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, तो उनका पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा । सभी छोटे निवेशक अब सेबी से रजिस्टर इंटरमीडियरी को भुगतान करने के लिए "@valid" हैंडल को देखकर ही भुगतान किया करें । इसकी मदद से निवेशक यह जान पाएँगे कि जिस एंटिटी को वे भुगतान करने वाले हैं, वह सही एंटिटी है या नहीं । सेबी चेक प्लेटफॉर्म या सेबी की सारथी ऐप पर जाकर निवेशक "सेबी चेक" वाले टूल पर एंटिटी की बैंक खाता संख्या और उसका आई.एफ.एस.सी. कोड या उसकी @valid यू.पी.आई. आई.डी. डालकर बड़ी ही आसानी यह जान सकेंगे कि सेबी से रजिस्टर इंटरमीडियरी के बैंक खाते के विवरण या यू.पी.आई. आई.डी. सही है या नहीं । निवेशकों से यह भी आग्रह है कि वे हमेशा मुश्किल पासवर्ड बनाया करें, दो स्तरों पर पुष्टि की सुविधा का इस्तेमाल किया करें और अपनी निजी जानकारी व लेनदेन आदि से जुड़ी जानकारी किसी से भी साझा न किया करें ।

"विश्व निवेशक सप्ताह" की शुरूआत आयस्को ने की है । इस वर्ष हम 6 - 12 अक्तूबर, 2025 के दौरान "विश्व निवेशक सप्ताह" मना रहे हैं । इस वर्ष के "विश्व निवेशक सप्ताह" का विषय है - "*समझदार निवेशक सही जगह से मिली जानकारी के आधार पर ही निवेश करता है, न कि सोशल मीडिया से बिन मांगे मिली जानकारी के आधार पर*" । इस दौरान, देशभर में तरह-तरह के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम, जैसे ऑनलाइल जागरूकता अभियान, प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी, ताकि निवेशकों को यह समझाया जा सके कि उन्हें निवेश करते समय किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए । मैं निवेशकों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें ।

मैं इस अवसर पर सभी निवेशकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे यह आग्रह करता हूँ कि वे निवेश करते समय सोच-समझकर निर्णय लें, पूरी सतर्कता बरतें और एक जिम्मेदार निवेशक बनें ।

तुहिन कांत पाण्डे